

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 56/10 (वाद)

1. श्रीमती मगनीबाई पत्नी हमीरचन्द भांगी निवासी सनवाड तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. श्री गणेश पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।
2. श्री जगदीश पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्री मांगीलाल पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।
4. श्री चुन्नीलाल पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री रजनीकान्त मेहता, अधिवक्ता वादीयां।

2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।




वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 10.01.2020

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 212, 296, 297 किता 3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा लगानी 23.20 पैसे। उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीयां के नाम 1/2 हिस्से से एवं दयाराम पिता हीरा चमार के नाम 1/2 हिस्से से चली आ रही है, ताईद में जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत हैं।
2. यह कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि मुझ वादीयां ने रामलाल पिता हीरा कौम जटिया (चमार) निवासी सनवाड से 1,00,000/- अक्षरे एक लाख रूपया के प्रतिफल में दिनांक 07.04.2003 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय कर उक्त कृषि भूमि पर स्वयं ने आधिपत्य प्राप्त किया व अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करायी तभी से उक्त खरीदशुदा भूमि पर मुझ वादीयां का स्वतन्त्र स्वामित्व आधिपत्य कब्जे एवं खातेदारी में चली आ रही है। इस भूमि में खातेदारान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा प्रतिवादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं है, उक्त वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक, स्वत्व अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं।

Akhay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली



3. यह कि मुझ वादीयां द्वारा जो कृषि भूमि क्रय की गई उसके पडोस निम्न प्रकार है :- पूर्व - शंकर जी जाट की जमीन, पश्चिम - स्वयं का कुआ व आगे पृथ्वीराज जी जाट की जमीन, उत्तर - हरीराम जी जाट की जमीन एवं दक्षिण - दयाराम के हिस्से की जमीन।

4. यह कि वादपत्र में वर्णित 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर विक्रेता रामलाल पिता हीरा जी जटिया चमार का ही कब्जा था, उसी भूमि को उसने मुझ वादीयां को विक्रय की तब से मैं वादीयां उक्त पडोसों के मध्य स्थित भूमि पर काश्त कर पैदावार लेती चली आ रही हूँ। उक्त पडोसों मध्य भूमि पर वर्ष 1988 के करीब विक्रेता रामलाल पिता हीरा जी जटिया (चमार) अपने हिस्से की भूमि को आवादान व सिंचित करने के लिए वित्तीय संस्था (पंजाब नेशनल बैंक, फतहनगर) से नियमानुसार कुए खुदवाने के लिए ऋण प्राप्त कर श्री रामलाल ने आराजी नम्बर 297 के पश्चिमी भाग पर गहरा कुआ खुदवाया व ढाणा, पाटला, धोरा, फेरा आदि बनवाए, बिजली का कनेक्शन लिया। कुए में अच्छा पानी हो जाने पर उक्त सारी जमीन सिंचित हो रही है व पिलाई हेतु विद्युत कनेक्शन रामलाल ने अपने नाम पर लिया व भूमि विक्रय के पश्चात् उक्त तथाकथित विद्युत कनेक्शन भूमि मय चाह क्रय करने से विद्युत कनेक्शन मुझ वादीयां के नाम पर रद्दोबदल कर दिया तभी से मैं वादीयां उक्त कुए का विद्युत बिल का भुगतान भी नियमित रूप से विद्युत विभाग में जमा कराती रही हूँ, विद्युत कनेक्शन आज भी मौजूद है जो मुझ वादीयां के नाम पर ही है व कुए को क्रय करने के बाद 50,000/- पचास हजार रूपया लगाकर उक्त कुए को मुझ वादीयां द्वारा गहरा कराया हैं।

5. यह कि मुझ वादीयां द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि के साथ विक्रेता ने तथाकथित चाह विक्रय किया उसके राजस्व रिकार्ड में पृथक से नम्बर कायम नहीं होने से राजस्व अभिलेखों में मुझ वादीयां के नाम पर अंकित नहीं हुआ किन्तु नक्शा ट्रेस में उक्त खरीदशुदा चाह दर्शाया हुआ हैं।

6. यह कि मुझ वादीयां द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि मय चाह के पश्चिमी पडोसी प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई कि वादीयां के हिस्से व कब्जे की जमीन तो आबाद हो गई व सिंचित हो गई व कुए में पानी भी अच्छा हो गया व हमारी जमीन एक फसली राकंड पडी रह गई है, मैं वादीयां गरीब असहाय अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला होने से षडयन्त्र पूर्वक दिनांक 15.02.2010 को

Ashay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) भावली



मुझ वादीयां की जमीन में प्रतिवादीगण ने अनाधिकार प्रवेश कर मुझ वादीयां के कब्जेशुदा कुए पर जाने के रास्ते को रोक दिया व जे.सी.वी. चलाकर उक्त रास्ते में काफी बड़ा खड्डा कर दिया तथा धमकी दी कि जमीन व कुए पर जबरन कब्जा कर ही दम लेंगे तु वृद्ध महिला नीची जाति की है हम स्वर्ण जाति के व्यक्ति है हमारे पास काफी पैसा है, धन बल व ताकत के सहारे तुम्हे किसी भी तरह से भूमि एवं कुए से हटाकर ही दम लेंगे जिससे मुझ वादीयां को काफी भय हो गया है कि ये लोग कभी भी कोई भी संगीन वारदात को अंजाम दे सकते है, इसलिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक है, कि वो वादीयां की खरीदशुदा भूमि मय कुए जिसके पडोस वाद पत्र में अंकित है, में जबरन प्रवेश नहीं करें, भूमि की शकल में तब्दील नहीं करें, कुए से जबरन पानी नहीं निकाले, मिसमार नहीं करे, सदीप से आने वाले मार्ग में रूकावट पैदा नहीं करें तथा वादीयां के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें, न ही पाली, डोली, हरे वृक्ष, में कोई नुकसान नहीं करें उक्त भूमि एवं कुए को जबरन अपनी भूमि में नहीं मिलावें, वादीयां के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करे, वादीयां को उक्त भूमि व कुए का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं, अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किए जाने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है जबकि स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादीयां को इतनी अशोधनीय क्षति होगी जिसका एवजाना नगदी में किया जाना असंभव होगा। वादीयां का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला होकर सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी वादीयां के पक्ष में हैं।

7. यह कि मुझ वादीयां की खरीदशुदा भूमि मय चाह के उत्तर दिशा में पाली बनी हुई है तथा पूर्वी दिशा व दक्षिण दिशा की तरफ मुझ वादीयां व प्रतिवादीगण के खेतों के मध्य बहुत पुराने समय में थुहर की बाड बनी हुई है, उक्त बाड को भी प्रतिवादीगण जबरन नष्ट करने पर आमदा है जबकि कानूनन अनुसूचित जाति की जमीन पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति प्रतिवादीगण को किसी भी तरह का अधिकार आधिपत्य करने, वादीयां के उपयोग उपभोग में रूकावट करने का किसी भी प्रकार को कोई कानूनी अधिरकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादीगण

Alshay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली



जबरन ताकत के बल पर मुझ असहाय वृद्ध महिला की जायदाद अवैध रूप से हड़पना चाहते हैं इसी नाजायज उद्देश्य की पूर्ति से मेरे खेत पर आने का मार्ग भी अवरुद्ध कर खड़ड़ा कर दिया है, व खेतों पर नहीं आ जा सकती हूँ प्रतिवादीगण की बेजा हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ व मैं अपने खेतों व कुए से फसल, घास फूस व लकड़ी भी नहीं ला पा रही हूँ, इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराया जाना आवश्यक है।

8. यह कि बिनाय वाद कारण दिनांक 15.02.2010 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादीयां के हक व अधिकारों को चुनौती दी तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
9. अतः निवेदन है कि वादीयां के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 292, 296 एवं 297 कुल किता 3 रकबा 9.12 नौ बीघा बारह बिस्वा के 1/2 हिस्से की भूमि व चाह का वादीयां को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। वादीयां की खरीदशुदा भूमि मय चाह जिसके पडोस वाद पत्र में अंकित किए हैं, मैं जबरन प्रवेश नहीं करे, भूमि के रास्ते की शकल में तब्दील नहीं करे तथा कुए से जबरन पानी नहीं निकाले, मिसमार नही करे, सदीप से आने जाने वाले मार्ग में रुकावट पैदा नहीं करे, पाली, डोली, हरे वृक्ष, थौर की बाड में कोई नुकसान नहीं पहुंचावे उक्त भूमि व कुए को जबरन अपनी जमीन में नहीं मिलावे न ही जबरन कब्जा करे, न वादीयां को अपनी जमीन से बेदखल करे, व ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे वादीयां के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी हो, यह कार्य प्रतिवादीगण स्वयं या अपने नौकर चाकर, एजेन्ट, परिवारजन आदि से नहीं करावे न करे, इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा वादीयां के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।
10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड में स्थित होना स्वीकार है जो रामलाल पिता हीरा जी व दयाराम पिता हीरा चमार के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की चली आयी है। वादीयां द्वारा 1/2 हिस्से की कौनसी भूमि खरीद कब्जा प्राप्त किया, यह स्पष्ट नहीं किया है, न वादीयां द्वारा 1/2 हिस्से विशेष की आराजी खरीदी है, न हिस्से विशेष पर कब्जा है।

Ashay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक रजिस्ट्रार
(फास्ट ट्रैक) मावली



जमाबन्दी में भी संयुक्त खातेदारी दर्ज है। वाद में अंकित पडोसा की कोई भूमि वादीयां द्वारा क्रय नहीं की गई है, न वादीयां के पक्ष में ऐसा विक्रय पत्र ही हुआ है। वादीयां ने गलत तथ्य अंकित किये हैं। रामलाल पिता हीरा जी चमार का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा दयाराम पिता हीरा का होकर संयुक्त खातेदारी आधिपत्य में चली आयी है। रामलाल ने अपने 1/2 हिस्से प लोन लिया है। विवादित आराजी पर जो कुआ खुदा हुआ था वह मिट्टी भरने से समतल हो गया है व उसमें पानी नहीं है, केवल खड्डा है। रामलाल द्वारा कोई बिजली कनेक्शन लिया गया है तो उनकी संयुक्त खातेदारी की आराजी पर लिया हुआ होगा। प्रतिवादीगण की आराजी पर खोदे गये कुएं पर कोई बिजली का कनेक्शन हेतु न तो आवेदन किया गया है, न ऐसा कोई आदेश ही हुआ है। वादीयां का पति बिजली विभाग में नौकरी करता है, उसने बिजली विभाग से मिलकर बिजली कनेक्शन वादीयां के नाम रद्दोबदल कराया है तो वह गलत है व धोखे से मिलीभगत से कराया है, जबकि विवादित भूमि पर कोई कुआ ही नहीं है व कुआ धंस गया है। वादीयां का यह कहना गलत है कि रामलाल ने आराजी नम्बर 297 के पश्चिमी भाग पर गहरा कुआ खुदवाया व ढाणा, पाटला, धोरा, फेरा आदि बनवाये हो व बिजली का कनेक्शन लिया हो। आराजी नम्बर 297 पर जो कुआ था वह कई वर्षों से धंस गया है व केवल खड्डेनुमा है। आराजी नम्बर 297 के पश्चिमी भाग पर न तो कुआ है, न ढाणा, पाटला, धोरा, फेरा आदि हैं न रामलाल ने कुआ, ढाणा, पाटला, धोरा, फेरा व बिजली का कनेक्शन वादिया को विक्रय किया है। वादीयां ने गलत तथ्य अंकित किए हैं। वादीयां का यह कहना भी गलत है वादियां द्वारा कुएं को क्रय करने के बाद 50,000/- पचास हजार रुपये लगाकर कुएं को गहरा कराया हो। वादीयां ने जब कुआ खरीदा ही नहीं तो गहरा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आराजी नम्बर 297 के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण की आराजीयात है जिस पर प्रतिवादीगण का कुआ है जिसका वादीयां से कोई सम्बन्ध नहीं है, न प्रतिवादीगण के कुएं पर वादीयां को कनेक्शन लेने का अधिकार है।

11. यह कि वादीयां द्वारा खरीदशुदा भूमि के साथ चाह नहीं खरीदा गया है क्योंकि आराजी नम्बर 297 पर जो कुआ था वह धंस गया है व समतल हो गया है। नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 297 पर जो कुआ धंस गया है वह खड्डा मात्र

Amray
सहायक क्लर्क एवं
कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली



रह गया है, कुआ नहीं है, न पानी हैं। अतः आराजी नम्बर 297 के नक्शा ट्रेस में भी कोई कुआ नहीं दर्शाया गया हैं।

12. यह कि वादीयां ने गलत तथ्य अंकित किये हैं। वादीयां द्वारा बताई गई आराजी नम्बर 297 के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात व कुआ है जिसका वादिया से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वादीयां प्रतिवादीगण के कुए पर बिजली का कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हैं। वादीयां का यह कहना गलत है कि तारीख 15.02.2010 को प्रतिवादीगण ने वादीयां की भूमि में प्रवेश कर वादीयां के कब्जेशुदा कुए पर जाने के रास्ते को रोक दिया हो व जे.सी.बी. चलाकर रास्ते में काफी बड़ा खड्डा कर दिया हो, व यह धमकी दी हो कि जमीन व कुए पर जबरन कब्जा कर दम लेंगे। प्रतिवादीगण ने अपनी जमीन के दो वर्ष पहले डोला डाला है जिससे वादीयां का कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं हुआ हैं। वादीयां की जमीन पर कोई कुआ नहीं है जो पुराना कुआ था वह धंस गया अतः जमीन व कुए पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। वादीयां अपने आपको अनुसूचित जाति की महिला बताकर प्रतिवादीगण को झूठे आरोप लगा परेशान व जलील करने की धमकी देकर प्रतिवादीगण के कुए पर जबरन बिजली का कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहती है लेकिन प्रतिवादीगण अपनी सहमति नहीं दे रहे है, अतः दबाव डालने हेतु कथित वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य हैं। वादीयां प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। वादीयां निषेधाज्ञा की आड में प्रतिवादीगण की आराजी पर स्थित कुए पर जबरन बिजली का कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण की आराजी पर स्थित कुए को वादियां ने रामलाल से नहीं खरीदा है, न कोई बिकावनामा ही निष्पादित कराया है अतः निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से वादीयां को कोई हानि होने वाली नहीं है, न वादीयां का कोई प्रथम दृष्टया मामला है, न सुविधा संतुलन वादीयां के पक्ष में हैं।

13. वादीयां ने भूमि के साथ कोई चाह नहीं खरीदा हैं। वादीयां द्वारा खरीदी गई आराजीयात के उत्तर दिशा में पाली बनी हुई है तथा पूर्वी दिशा व दक्षिण दिशा की तरफ प्रतिवादीगण की कोई जमीन नहीं है, अतः वादीयां की भूमि के पूर्वी व दक्षिण दिशा की तरफ वादीयां व प्रतिवादीगण के मध्य पुराने समय से

Ashay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली



थुअर की बाड होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीयां द्वारा जिन आराजीयात का 1/2 हिस्सा खरीदना बताया गया है उसके पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण की आराजीयात व कुआ है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे हैं व बीच में डोले डाले हुए हैं। डोले की जगह पहले थुअर व कांटो की पुरानी बाड थी। प्रतिवादीगण वादीयां की कोई भूमि नहीं हडपना चाहते हैं, न उनके जमीन पर आने-जाने के रास्ते में कोई अवरोध ही पैदा किया है। प्रतिवादीगण की जमीन से होकर वादीयां का कोई रास्ता भी नहीं है अतः अवरोध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीयां का यह कथन कि कुए से फसल घास फूस व लकड़ी नहीं ला पाने का आरोप लगाया गया है जो गलत है। वादीयां की आराजी में जो कुआ वह धंस गया है व कोई कुआ नहीं है तथा वादीयां द्वारा जो भूमि खरीदना बताया गया है उसके पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण की आराजी व कुआ है। वादीयां की आराजी में बताया गया कुआ धंस जाने व पानी नहीं होने से प्रतिवादीगण के कुए पर बिजली का कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है।

14. यह कि वादीयां को तारीख 15.02.2010 को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीयां ने गलत तथ्य अंकित किये हैं।
15. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार एवं आधिपत्यधारी दयाराम है जो आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके अभाव में यह वाद चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में घोषणा का वाद लाये बिना वादीगण का कथित निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। वादीयां ने जानबुझकर प्रतिवादीगण की आराजी पर स्थित कुए पर जबरन कब्जा करने हेतु बिजली का कनेक्शन शिफ्ट कराने की नियत से यह गलत वाद पेश किया है व प्रतिवादीगण को जलील व परेशान किया है। अतः प्रतिवादीगण वादीयां से विशेष हर्जे के दस-दस हजार जुमला 40,000/- रुपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीयां का कथित वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादीयां से प्रतिवादीगण को 40,000/- रुपये विशेष हर्जे खर्चे के दिलाया जावें।
16. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :-

1. आया वादीयां द्वारा मौजा सनवाड की आराजी नम्बर 212, 296, 297 कुल किता 3 रकबा 12 बिस्वा का 1/2 हिस्सा विक्रेता रामलाल पिता हीरा

Ashay
सहायक क्लर्क एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली



जटिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 07.04.2003 को मय आराजी चाह के खरीदा जिस पर वादीयां काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा खातेदार काश्तकार हैं।वादीयां

2. आया वादीयां ने भूमि मय चाह क्रय करने के पश्चात् 50,000/- रुपये लगाकर कुए को गहरा कराया। अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन लिया। रेकार्ड में आराजी चाह दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण व्यवधान डालते हैं जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हैं।

.....वादीयां

3. आया आराजी नम्बर 297 पर कुआ था वह कई वर्षों से धंस गया है व खड्डेनुमा हैं। आराजी नम्बर 297 के पश्चिमी भाग पर न तो कुआ है, न ढाणा, पाटला, धोरा, फेरा हैं। आराजी नम्बर 297 के पश्चिम दिशा में कुआ हैं जिसका वादीयां को कोई लेना देना नहीं है यह प्रतिवादीगण का कुआ हैं।प्रतिवादीगण

17. वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादीयां शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 श्री रोशनलाल, पीडब्ल्यू-2 श्रीमती गोपीबाई, पीडब्ल्यू-3 श्री धनराज, पीडब्ल्यू-4 श्रीमती मगनीबाई, पी.डब्ल्यू-5 श्री हमीरचन्द के पेश किये। साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में डीडब्ल्यू-1 श्री गणेश के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

18. वादीयां द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, विक्रय पत्र प्रदर्श 3, पंजाब नेशनल बैंक प्रपत्र दिनांक 13.01.03 प्रदर्श 4, बैंक पत्र दिनांक 26.02.2003 प्रदर्श 5, पत्र दिनांक 11.03.2003 प्रदर्श 6, बिजली डिक्लेरेशन फार्म प्रदर्श 7, बिजली का बिल प्रदर्श 8 पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श ए1 पेश किये।

19. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा लिखित बहस मय नजीर SCC 2004 Page 438, RRD 1973 Page 714, RRD 1961 Page 226 पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस मय नजीर RRT 2018 (1) Page 100 पेश कर वाद को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

20. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं नजीरों का अध्ययन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार निर्णय निम्न है :-

Alukay
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली



1. आया वादीयां द्वारा मौजा सनवाड की आराजी नम्बर 212, 296, 297 कुल कित्ता 3 रकबा 12 बिस्वा का 1/2 हिस्सा विक्रेता रामलाल पिता हीरा जटिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 07.04.2003 को मय आराजी चाह के खरीदा जिस पर वादीयां काबिज होकर काशत करती चली आ रही है तथा खातेदार काशतकार हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीयां पर रहा। वादीयां द्वारा इस सम्बन्ध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज प्रदर्श 3 पेश किया, जिसमें रामलाल द्वारा अपना हिस्सा वादीयां को दिनांक 07.04.2003 को विक्रय कर कब्जा सिपूद किया हैं। इसी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादीयां का नाम दर्ज हैं। उक्त विक्रय पत्र में साक्ष्य के रूप में धन्ना पिता अमरा ने अगुष्ट निशानी दी थी। विक्रय पत्र के अवलोकन से विक्रय पत्र में विक्रेता रामलाल द्वारा कही पर भी कुए के बेचान का अंकन विक्रय पत्र में नहीं किया हैं। कुए बाबत वादीयां द्वारा वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू-3 के रूप में धनराज पिता अमरा के शपथ पत्र पेश किये, जिसमें धनराज द्वारा अपनी जिरह में कुए होने का कथन स्वीकार किया है पर वो अनपढ होने से किस आराजी में कुआ है यह नहीं बता पाया परन्तु एवं कुए की भौगोलिक स्थिति की जानकारी अपने जिरह में बताई है एवं मगनीबाई द्वारा उक्त कुए के बिजली बिल जमा कराने के तथ्य को भी बताया हैं वादीयां द्वारा बिजली का बिल प्रदर्श 8 व जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 पेश की है जिससे यह स्पष्ट है कि वादीयां वादग्रस्त आराजी की खातेदार काशतकार होकर कुए के बिल जमा करा रही है जो कि बिल में श्रेणी के रूप में कृषि मीटर का कनेक्शन का स्पष्ट अंकन हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त तनकी को वादीयां अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रही हैं। उक्त तनकी वादीयां के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादीयां ने भूमि मय चाह क्रय करने के पश्चात् 50,000/- रुपये लगाकर कुए को गहरा कराया। अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन लिया। रेकार्ड में आराजी चाह दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण व्यवधान डालते हैं जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हैं।

Alkay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली



उक्त तनकी को साबित करने का भार

वादीयां पर रहा। वादीयां द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 3 से भूमि क्रय की हैं, परन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में कही पर भी कुए का अंकन नहीं हैं। वादीयां द्वारा भूमि पर कुए के ऋण लेकर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है व उसका उपयोग कर रहे है परन्तु वादीयां द्वारा अपने वाद में यह कही पर भी साबित नहीं करवा पाई कि वादीयां द्वारा उक्त भूमि पर कुआ कब खुदवाया एवं कुए पर उपयोग उपभोग के कोई लिखित दस्तावेज भी पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर वादीयां द्वारा कुआ खुदवाकर उसका उपयोग उपभोग कर रही है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी कुए का कोई अंकन नहीं हैं। अतः उक्त तनकी को वादीयां अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रही हैं। उक्त तनकी वादीयां के विरुद्ध निर्णित की जाती हैं।

3. आया आराजी नम्बर 297 पर कुआ था वह कई वर्षों से धंस गया है व खड्डेनुमा हैं। आराजी नम्बर 297 के पश्चिमी भाग पर न तो कुआ है, न ढाणा, पाटला, धोरा, फेरा हैं। आराजी नम्बर 297 के पश्चिम दिशा में कुआ हैं जिसका वादीयां को कोई लेना देना नहीं है यह प्रतिवादीगण का कुआ हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श ए1 पेश किया, जिसमें आराजी नम्बर 1886 रकबा 11 बिस्वा होकर राजस्व रेकार्ड में आ.चा. कुआ के नाम पर दर्ज हैं। प्रतिवादीगण द्वारा केवल मात्र कथन किया है कि आराजी नम्बर 297 के पश्चिमी भाग पर कुआ नहीं हैं, नहीं ढाणा, पाटला, धोरा, फेरा हैं जबकि साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 3 द्वारा धोरा, फेरा, पाटला व ढाणा की ताईद अपने जिरह में की हुई हैं। वादीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस में भी आराजी नम्बर 297 के पश्चिमी दिशा में कुआ दर्शा रखा है। अतः उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त तनकी को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित नहीं करा पाये हैं। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती हैं।

akshay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक (फास्ट ट्रेक) मावली



21. प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीयां के नाम दर्ज होकर वादीयां खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण वादीयां की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीयां द्वारा कुआ होने का कथन किया है, जिसे वादीयां द्वारा ऋण लेकर खुदवाया गया है, जिस पर बिजली का कनेक्शन होकर वादीयां बिल भर रही हैं जबकि इसके विपरित प्रतिवादीगण भी अपनी भूमि पर कुए होने का कथन कर रहे है तथा वादीयां द्वारा बताये गये कुए को अपना कुआ बताकर उसका उपयोग करने की बात को कही हैं। उक्त कुए के बाबत मौके पर पैमाईश अथवा पत्थरगढी करने के बाद ही कुए की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता हैं। कुए के उपयोग उपभोग हेतु खातेदार स्वतन्त्र हैं। खातेदारों को अपने कुए बाबत पत्थरगढी करा पैमाईश के बाद अपने अपने कब्जे/हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग के लिए स्वतन्त्र हैं। रहा प्रश्न वादग्रस्त भूमि का उसका खातेदार वादीयां हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रतिवादीगण वादीयां के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक हैं। अतः वादीयां प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 212, 296, 297 किता 3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादीयां को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादीयां के कृषि कार्य में रुकावट पैदा नहीं करें, पाली, डोली, हरे वृक्ष, थौर को नुकसान नहीं पहुंचावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।



Atul
(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्दमें इब्तादाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर
बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.
उनवान

1. श्रीमती मगनीबाई पत्नी हमीरचन्द भांभी निवासी सनवाड तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री गणेश पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।
2. श्री जगदीश पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्री मांगीलाल पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।
4. श्री चुन्नीलाल पिता देवजी जाट निवासी सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 56/10 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:-

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 212, 296, 297 कित्ता 3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादीयां को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादीयां के कृषि कार्य में रूकावट पैदा नहीं करें, पाली, डोली, हरे वृक्ष, थौर को नुकसान नहीं पहुंचावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2020 को जारी की गई।



Ashay
(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली